families and their major sons; subsistence allowance, compensation under the Land Acquisition Act, Preference in employment and civic amenities like primary schools, panchayat ghar, dispensary, seeds store, children's park, village pond, drinking water well, approach roads and tree platforms etc.

(c) Out of 4600 Project Affected Families in Gujarat, so far 4248 families have been allotted house plots and 4295 families have been allotted agricultural land upto 30th June, 1994.

(d) As per the Action Plan for Resettlement and Rehabilitation of Sardar Sarovar Project Affected Families drawn up by the State Government of Gujarat, all the oustees in Gujarat are expected to be rahabilitated during 1994-95.

तीस्ता परियोजना

2620. **श्री सोमपाल:**
श्री शारदा मुदुली:
डा. नौनिहाल सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीस्ता परियोजना के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है जो कि पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण सिंचाई और विद्युत परियोजना है;

(ख) इस परियोजना की संकल्पना कब की गई थी और इससे प्राप्त होने वाले बहु उद्देशीय लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको पूरा करने का आरम्भिक लक्ष्य क्या था और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और इससे किन-किन राज्यों को कितना-कितना लाभ होगा; और

(ङ) इसमें हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं और इन कारणों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) इस परियोजना को सिंचाई, जल विद्युत तथा आन्तरिक नौवहन लाभ प्रदान करने वाली बहु प्रयोजनी परियोजना के रूप में वर्ष 1973 में तैयार किया गया था। तथापि, केवल तीस्ता बराज परियोजना को शुरू किया गया है। इससे 5.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है। तीस्ता, महानन्दा और डौक बराजों पर कार्य पूर्ण हो गए हैं। तीस्ता महानन्दा सम्पर्क नहर और महानन्दा मुख्य नहर पर कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं, लेकिन डौक नगर मुख्य नहर और तीस्ता जलाशय मुख्य नहर पर कार्य पूर्ण होने के भिन्न-भिन्न चरणों में है। नगर टंगोन मुख्य नहर पर कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(ग) मूलत: इस परियोजना को सातवीं योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य था। अब इसे आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(घ) परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 695 करोड़ रूपए है । पूर्ण होने पर यह परियोजना पश्चिम बंगाल में 5.27 लाख हेक्टेयर तथा बिहार में 0.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी। मार्च, 1994 तक इस परियोजना पर किया गया कुल व्यय लगभग 459 करोड़ रूपए है।

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारण वित्तीय बाधाएं, भूमि अधिग्रहण तथा वन स्वीकृति समस्यायें हैं।

जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास

2621. **श्री भिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास हेतु कोई राज्य-वार कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास हेतु गठित राष्ट्रीय स्तर की समितियों के नाम क्या-क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख) जल संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास कार्यक्रम राज्यवार नहीं है किन्तु पता लगाये गये महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के अनुसंधान संगठन इसमें भाग ले रहे हैं।

(ग) जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए अभी तक निम्नलिखित पांच भारतीय राष्ट्रीय समितियां गठित की गयी हैं:

(i) भारतीय राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान समिति

(ii) भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति

(iii) भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति

(iv) भारतीय राष्ट्रीय चट्टान यांत्रिकी एवं सुरंग प्रौद्योगिकी समिति

(v) भारतीय राष्ट्रीय निर्माण सामग्री एवं संरचना समिति

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित समितियों ने भी अनुसंधान व विकास प्रस्तावों/योजनाओं की सिफारिश की है:

(i) शिक्षा व प्रशिक्षण संबंधी स्थायी समिति

(ii) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

(iii) भूकम्प अभिकल्पना पैरामीटर संबंधी राष्ट्रीय समिति

निम्नलिखित सरकारी संगठनों ने भी अनुसंधान व विकास प्रस्तावों/योजनाओं की सिफारिश की है:

(i) केन्द्रीय जल आयोग

(ii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड

(iii) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

(घ) वार्षिक योजनाएं 1993-94 एवं 1994-95 के लिए जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्यक्रम के वास्ते क्रमशः 5.67 करोड़ रुपए एवं 6.70 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

Representation from SC/ST for Inclusion in OBC

2622. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the people/organisation belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes expressing their rejection to abandon their present status and demand for their inclusion in the OBC; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Representations have been received from All India Nepali Scheduled Castes Association, Darjeeling; Hill Scheduled Castes/Tribes Welfare Organisation, Darjeeling; Bengal Scheduled Castes and Tribes Federation, Darjeeling and All India Scheduled Castes/Scheduled Tribes Bank Employees Federation,Calcutta not to de-schedule Kami (Nepali), Damai (Nepali) and Sarki (Nepali) communities from the Scheduled Caste list of West Bengal and also not to specify these communities as Other Backward Classes as demanded by Gorakha National Liberation Front; Another representation has been received from Namasudra Samaj Kalyan Samity, Nowrangpur, Orissa not to deschedule Namasudra community from the existing Scheduled Caste list of Orissa as against the decision of the State Govern ment of Orissa to include the community in other Backward Class list.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में निरक्षरता

2623. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गुजरात राज्य के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और (घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अनुसूचित जाति/जनजाति में साक्षरता की प्रतिशतत का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि, साक्षरता आंकड़े दस वर्ष में एक बार आयोजित किए गए नियमित जनगणना के अंतर्गत एकत्र किए गए हैं। पिछली जनगणना 1991 में की गई थी।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति की साक्षरता दरें विवरण-I पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा विवरण-II पर गुजरात के संबंध में जिलावार दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।